

8.8.22
बकुलाच पक्षकारान उपास्थित/ ब.ह.स.
के लिए मौफा पत्रों में अतः अवसर दिष्ट
शकर दिनांक 28.8.22 को पेश हा।

28.8.22

पत्रावली पेश हुई प्रथम अधिवक्ता उपस्थित हुई
प्रकरण का मूल बाद फाइनल डिस्की हो जाने से हस्तगत
प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है।

अतः प्रार्थना पत्र का मूल बाद फाइनल डिस्की हो जाने
प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।
निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।
प्रकरण फंसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

प्रतिभा वर्मा
IAS